

मिर्चक
22.2.2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2026/94

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
अजयपाल बनाम विक्रमजीत आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 79 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12.02.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्बी किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18.02.2026 को पेश हो।	
<u>18.2.2026</u>	वकुलाए फरिदोज उपविषयता वादी व पक्षी वादी का 1 ला 7 मे दाखिल अदाकर हाकर शीपीनाम पेश किया जिसे बाद तल्बीक दाखिल फर्कल रिफ्त गणना प्रजावली कास्ते स्टेर जजपु हाकर 18/02/19.2.2026 को पेश हो।	अजयपाल विक्रम उमेश
19.2.2026	वकुलाए फरिदोज उपविषयता/पु माउठहाकर 7/02/2026 है। प्रजावली 7/02/2026 तामिल जजपु दिनांक 23.2.2026 को पेश हो 7	मुनाता पुनम
23.2.2026	वकुलाए फरिदोज उपविषयता स्टेर जजपु प्राप्त उका कदम सुनी गरी प्रजावली का अक्लोकल रिफ्त गणना प्रजावली पर उपलब्ध रिफ्त आदि व वादी-पक्षी वादी के दाजीनाम के आधार पर बक वादी-डिक्की रिफ्त जप्रा है। पूर्ण विवण सहित निर्वय अलग से निष्पत्ता जाकर दाखिल फर्कल रिफ्त जप्रा प्रजावली नम्बर से बक की जाकर वाड तल्बीक तामिल हाकर दाखिल अदाकर हो।	विक्रमजीत प्रति: मुंडा उमेश सुत्रव J. byme वकीलवादी राकेश कुमार माकरस- Ramesh